RESERVE BANK OF INDIA
भारतीय रिज़र्व बैंक

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

आरबीआई/2025-26/81

केका. डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 680/04-07-001/2025-2026 26 सितंबर 2025

चेक ट्रंकेशन सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

महोदया / प्रिय महोदय,

**3 अक्तूबर 2025 को चेक ट्रंकेशन सिस्टम में विशेष समाशोधन**

कृपया 13 अगस्त 2025 के 'चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत' से संबंधित परिपत्र केका. डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 536/04-07-001/2025-2026 का संदर्भ लें, जिसमें यह सलाह दी गई है कि चरण 1 को 4 अक्तूबर 2025 को लागू किया जाएगा।

2. निरंतर समाशोधन की ओर परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए, 3 अक्तूबर 2025 को चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में सत्र समय को संशोधित करने और विशेष समाशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

| दिन | सत्र विवरण | समय |
|---|---|---|
| 3 अक्तूबर 2025 (शुक्रवार) | 1 अक्तूबर 2025 की प्रस्तुति हेतु वापसी सत्र | पूर्वाह्न 8:00 बजे से 10:00 बजे तक |
| | विशेष समाशोधन प्रस्तुति सत्र | पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक |
| | विशेष समाशोधन वापसी सत्र | अपराह्न 05:00 बजे से 08:00 बजे तक |

3. 1 अक्तूबर 2025 को की गई प्रस्तुति हेतु 3 अक्तूबर 2025 के वापसी सत्र समाप्त होने के पश्चात, उस दिन सीटीएस में कोई नियमित समाशोधन सत्र नहीं होगा। सभी प्रकार के लिखत केवल विशेष समाशोधन में ही स्वीकार किए जाएँगे।

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई - 400001
फोन Tel: (91-22) 2260 1000; फैक्स Fax: (91-22) 2265 9566; ई मेल-e-mail : cgmdpssco@rbi.org.in
Department of Payment and Settlement Systems, Central Office, 14th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400001
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

4. 3 अक्तूबर 2025 को होने वाले विशेष समाशोधन के लिए, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे समाशोधन प्रकार "99" और सत्र संख्याएँ "21" (प्रस्तुति के लिए) और "22" (वापसी के लिए) का उपयोग करें। किसी अन्य समाशोधन प्रकार और सत्र संख्या के साथ प्रस्तुत किए गए लिखतों को विशेष समाशोधन सत्र से नहीं जोड़ा जाएगा।

5. विशेष समाशोधन में प्रस्तुति और वापसी, दोनों सत्रों के लिए निपटान पारित किया जाएगा। बैंकों को विशेष समाशोधन से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखनी है।

6. प्रायोजक बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने उप-सदस्यों के ध्यान में लाएं।

7. यह निदेश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के साथ धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक